न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 17/2020
सरकार बनाम हरदेव पुत्र घड़सीराम, जाति– जाट, निवासी– नेतरामपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 28.05.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हरदेव पत्र घड़सीराम, जाति–जाट, निवासी–नेतरामपुरा द्वारा रोही मौजा नेतरामपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 100 रकबा 5.92 है0 में से 0.05 है0 भूमि पर पक्के मकानात व ढ़ारा बनाकर अतिकमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी के न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत मामला विचाराधीन है तथा मु.नं. 385/2012 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति भी जवाब के संलग्न प्रस्तुत की गई। इस पर रिपोर्ट में वर्णित भूमि से संबंधित इस न्यायालय की पूर्व पत्रावली संख्या 202/2011 दर्ज दिनांक 06.06.2011 के संबंध में, तत्समय के दर्ज रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें गैर सायल का 0.03 है0 पर पक्का मकान एवं 0.45 है0 चरी चारा काश्त के अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। जबकि नयी रिपोर्ट में 0.05 है0 पर पक्के मकान एवं ढ़ारा का अतिक्रमण अंकित है। अतः मकान के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना प्रमाणित है, लेकिन चरी चारा काश्त के स्थान पर ढ़ारा बाद में बनाया जाना दर्शित होता है। पूर्व प्रकरण में भी न्यायालय नायब तहसीलदार स्तर पर गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध हुआ है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। चूंकि राजकीय भूमि पर गैर सायल का कब्जा विधिक सिद्ध नही हुआ है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है। उक्त निर्णय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 385/2012 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु माननीय न्यायालय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी के मु.नं. 385/2012 के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए पालना हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

स० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 02 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 12/- कायम किए
राजस्व लेखाकार